

(9) खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिये आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

- पूर्णांक-100, समयावधि-02 घंटा, प्रश्नों की संख्या-100
- प्रश्नों की प्रकृति - वस्तुनिष्ठ

भाग-01 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएँ एवं कार्यक्रम - 20 अंक

1. महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 (पूर्व में एकीकृत बाल विकास सेवाएँ) आंगनबाड़ी की सेवाएँ, उद्देश्य, हितग्राहियों का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक के कार्य दायित्व, आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृति के मापदंड।
2. पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, इसमें गर्भावस्था, प्रसव के दौरान, शिशुवती माता एवं शिशु की देखभाल तथा स्तनपान भी शामिल है।
3. कुपोषण, वृद्धि निगरानी एवं वजन त्र्योहार।
4. शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण (रोग प्रतिरक्षण)।
5. बच्चों को होने वाली बीमारियों एवं पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारियों।
6. **विभाग की केन्द्र प्रवर्तित योजनायें-**
 - 6.1 मिशन शक्ति - मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब फार इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन), शक्ति सदन एवं सखी निवास।
मिशन शक्ति के संबल घटक अंतर्गत सखी (वन स्टॉप सेंटर), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला हेल्प लाईन।
 - 6.2 मिशन वात्सल्य (पूर्व में एकीकृत बाल संरक्षण योजना) की योजनाएँ, कार्यक्रम एवं संस्थाएँ।
 - 6.3 पोषण अभियान एवं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम।
7. **विभाग के राज्य मद की योजनाएँ-** मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई), सुचिता योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, दिशा दर्शन एवं भ्रमण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना, महिला स्वयं सहायता समूह एवं नारी निकेतन।
8. **महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान-** बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नियम 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध नियम 2004, टोनही प्रताड़ना निवारण के लिये कानून 2005, बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा संशोधन 2021 एवं नियम 2016 संशोधन-2022।

भाग-02 सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान -

40 अंक

1. विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएँ, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि।

2. तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता आदि।
3. छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास सामान्य जानकारियों, घटनाएँ, खेल, साहित्य।
4. भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन-भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास।
5. अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम।
6. भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, लोकतंत्र।
7. भारत की अर्थव्यवस्था - वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, सामाजिक आर्थिक विकास, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र, पंचवर्षीय योजनाएँ, कृषि एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा प्रसार।
8. भूगोल- भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, छत्तीसगढ़ का भूगोल।
9. सामान्य विज्ञान- विज्ञान के महत्वपूर्ण अविष्कार, विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान।

भाग-03 सामान्य हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान-

15 अंक

1. शब्द रचना।
2. शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी।
3. अनेक शब्द का एक शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द।
4. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ।
5. स्वर, व्यंजन एवं वर्तनी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म।
6. लिंग, वचन एवं काल।
7. संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग।
8. शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य।

भाग-04 GENERAL ENGLISH -

10 अंक

1. Numbers
2. Gender
3. Noun, Pronoun, Adjectives, Verb
4. Active and Passive Voice
5. Tense
6. Antonyms, Synonyms
7. One word substitution
8. Spellings

भाग-05 सामान्य गणित -

15 अंक

1. दशमिक प्रणाली।
2. समसंख्या एवं विषम संख्या।
3. गुणनफल एवं भागफल।
4. अनुपात एवं समानुपात।
5. औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज।
6. लाभ, हानि एवं क्षेत्रफल आंकलन।